


४२

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल गवालियर (कैम्प रीवा) मध्य प्रदेश



Rs 30/-

1- जानकी प्रसाद साहू तनय स्व० औसेरी साहू

2- अंजनी प्रसाद साहू तनय स्व० औसेरी साहू

दोनों निवासी ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०) – निगरानीकर्तागण

बनाम

1- शिवटहल तनय स्व० शोभनाथ साहू

2- रामटहल तनय स्व० शोभनाथ साहू

3- रामचरण तरय स्व० शोभनाथ साहू

4- शिवचरण तरय स्व० वंशरूप साहू

5- राशिरमरण तनय स्व० वंशरूप साहू

R 5335-II/16

सभी निवासी ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०)– गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मंडल मनिकवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०) के सीमांकन प्रक० क०- 60 / अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-05-2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भ०रा०सं० 1959ई

आधिकारक भूमि सी-की.
मान्यवर म०प्र० गवालियर
राजस्व मण्डल म०प्र० रीवा

22-7-16

मूल आफ कोटे
मान्यवर म०प्र० गवालियर
राजस्व मण्डल म०प्र० रीवा
(संकेत कोटे) रीवा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि निगरानीकर्तागण आपस मे सगे भाई हैं जो ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के पुस्तैनी निवासी हैं। गैर-निगरानीकर्तागणों ने अपने स्वत्व आधिपत्य की भूमि ख०क०-694 रकवा 0.317हें० एवं 696 रकवा 0.089हें० स्थित ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चु० के सम्बन्ध मे सीमाकान का आवेदन निगरानीकर्तागणों की गैर-जानकारी मे राजस्व निरीक्षक महोदय मनिकवार के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त भूमियों के उत्तर तरफ लगी हुई निगरानीकर्तागण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि ख०क०- 509 रकवा 0.304 हें० स्थित है इस तरह निगरानीकर्तागण सरहदी कास्तकार है किन्तु हल्का पटवारी द्वारा गैर-निगरानीकर्तागणों से मिल-मिलाकर बिना निगरानीकर्तागणों को सूचना दिये या वक्त सीमाकन उपस्थित ना होने के बावजूद म०प्र०भ०रा०सं० मे सीमाकन सम्बन्धी विहित प्रावधानों का उलंघन करते हुये प्रार्थी/निगरानीकर्तागणों की भूमि के दक्षिणी सीमा के स्थित पुराने सीमाचिन्ह को उखाड़कर फर्जी

ग्राम कर्चुलियर दानु

निगरानीकर्ता

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर (कैम्प रीवा) मध्य प्रदेश

(82)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R-5335-सो/16 जिला..... रीवा

पानकी प्रशासनात्मक विरुद्ध गवालियर टाउनहॉल ताउ बॉर्ड

2

3

18-12-18

1. आवेदक की ओर से श्री..... सी. बी. शर्मा अधिवक्ता द्वारा
यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मानवानुकूल तहसील रायपुर के
प्रकरण क्रमांक 60/अ.12/15-16 में पारित
आदेश दिनांक 23-5-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी
है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये
संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50
सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण
कलेक्टर..... रीवा के न्यायालय को अंतरित किया
जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को
कलेक्टर..... रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु
उपस्थित हो।

सदस्य